

# कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

## निविदा सूचना

क्रमांक / लो.क.वि. / जोन-1 / 1870

भिलाई, दिनांक 17/09/2022

आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई की ओर से लोक निर्माण विभाग मे ई-रजिस्ट्रेशन में पंजीकृत ठेकेदारों से लोक निर्माण विभाग के भवन एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 एवं सड़क एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 से लागू एवं अद्यतन संशोधन के आधार पर कम/अधिक एवं आयटम दर पर निम्नांकित कार्य हेतु निविदा क्रमांक-01 से निविदा क्रमांक 03 हेतु दिनांक 07.03.2022 को सायं 5:30 बजे तक मुहरबंद निविदा आमंत्रित की जाती है। प्राप्त निविदा दिनांक 08.03.2022 को प्रातः 11.00 बजे खोली जावेगी। निविदा प्रपत्र हेतु आवेदन दिनांक 02.03.2022 को सायं 5:30 बजे तक निर्धारित राशि के साथ आवेदन स्वीकार किये जावेगा। निविदा क्रमांक 04 से निविदा क्रमांक 05 हेतु दिनांक 10.03.2022 को सायं 5:30 बजे तक मुहरबंद निविदा आमंत्रित की जाती है। प्राप्त निविदा दिनांक 11.03.2022 को प्रातः 11.00 बजे खोली जावेगी। निविदा प्रपत्र हेतु आवेदन दिनांक 07.03.2022 को सायं 5:30 बजे तक निर्धारित राशि के साथ आवेदन स्वीकार किये जावेगा।

| क्र. | कार्य का नाम   | निविदा लागत (लाख में) | धरोहर राशि | निविदा प्रपत्र का मूल्य | समयावधि | ठेकेदार की श्रेणी |
|------|--|-----------------------|------------|-------------------------|---------|-------------------|
| 1    | वार्ड-12 कर्मा भवन हेतु जेमशेड निर्माण कार्य। (तृतीय बार)                          | 500000.00             | 5000.00    | 750.00                  | 90 दिन  | द एवं प्रवर       |
| 2    | जोन-01 अंतर्गत शासकीय आवास क्रं. F/2, FB-04, FB-03 में संधारण कार्य। (द्वितीय बार) | 294503.00             | 3000.00    | 750.00                  | 60 दिन  | द एवं प्रवर       |
| 3    | जोन-01 अंतर्गत विभिन्न सार्वजनिक भवनों में विद्युत संधारण कार्य। (द्वितीय बार)     | 206600.00             | 3000.00    | 750.00                  | 60 दिन  | द एवं प्रवर       |
| 4    | वार्ड-03 नेहरू नगर हिल्लन होटल के सामने नाली संधारण कार्य।                         | 300000.00             | 3000.00    | 750.00                  | 60 दिन  | द एवं प्रवर       |
| 5    | वार्ड-04 दक्षिण गंगोत्री में नाली संधारण कार्य।                                    | 300000.00             | 3000.00    | 750.00                  | 60 दिन  | द एवं प्रवर       |

**नियम एवं शर्तः-** 1. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी। 2. निविदा स्पीड पोस्ट अथवा रजिस्टर्ड डाक से स्वीकार किये जावेंगे। 3. धरोहर राशि कार्यपालन अभियता / जोन आयुक्त, नगर पालिक निगम, भिलाई एवं संबंधित ठेकेदार के नाम से तथा प्रत्येक कार्य के लिये जीवित ठेकेदारी ई-पंजीयन, पेनकार्ड, आयकर, जीवित बैंक सालवेंसी प्रमाण, GST पंजीयन पत्र की सत्यापित प्रति लिफाफा 'क' में प्रस्तुत करना है, एवं निविदा प्रपत्र दर सहित लिफाफा 'ख' में प्रस्तुत करना होगा। 4. कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम लागू होगी। 5. सम्पूर्ण निविदा अथवा किसी भी अंश को स्वीकृत करने अथवा न करने का अधिकार निगम के पास सुरक्षित रहेगा। 6. नगर निगम की वाहनों से निर्माण कार्य हेतु पानी लेने पर देयक से 1 % राशि की कटौती की जावेगी, किन्तु निगम वाहनों से जल-उपलब्ध कराने हेतु बाध्य नहीं रहेगा। निगम क्षेत्र के रजोतों से स्वयं के वाहनों से पानी लेने पर 0.5 % की कटौती की जावेगी। 7. ठेकेदार द्वारा निविदा में अंको एवं शब्दों दोनों में स्पष्ट रूप से दर प्रस्तुत करें नहीं किये जाने पर निविदा फार्म निरस्त किया जावेगा। 8. शासन के आदेश क्रमांक 19 दिनांक 04.06.2016 के सफल निविदाकार की निविदा दर निविदा राशि के 90% से कम होने की स्थिति में अंतर की राशि एक.डी.आर. के रूप में संविदा के पूर्व जमा करना होगा। 9. शासन के निर्देशानुसार श्रमिकों से संबंधित कार्यों हेतु श्रमिकों का पी.एफ. कटौती किया जाना है तथा बैंकों में खाता खोलकर सीधे उनके बैंक खाते में श्रमायुक्त द्वारा स्वीकृत दरों के अनुरूप प्रतिमाह राशि जमा किया जाना है। 10. प्रस्तुत दरस्तावेज असत्य पाये जाने पर पंजीयन निरस्त कर, काली सूची में दर्ज करने की कार्यवाही की जावेगी। 11. यदि निगम द्वारा निर्धारित निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि/निविदा खोलने की तिथि को किसी अपरिहार्य कारणवश अवकाश घोषित होता है तो ऐसी स्थिति में अंतिम तिथि/खोलने की तिथि आगामी कार्य दिवस को माना जायेगा। 12. प्रत्येक कार्य के लिए पृथक-पृथक धरोहर राशि जमा करें एवं समयोजन की कार्यवाही नहीं होगी। 13. शासन के निर्देशानुसार G.S.T. एवं अन्य कर सम्मिलित रहेगा। 14. निविदा में भाग लेने वाले इच्छुक एजेंसी प्रत्येक कार्य के लिए राशि रु. 100.00 स्टाम्प एफिडेविट संलग्न करना अनिवार्य होगा। 15. किसी भी विवाद स्थिति में आयुक्त/जोन आयुक्त नगर पालिक निगम, भिलाई का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा। विस्तृत जानकारी कार्यालय समय एवं तिथि मे कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई नेहरु नगर जोन-01, नगर निगम भिलाई की वेबसाइट [www.bhilaiamangram.com](http://www.bhilaiamangram.com) अथवा संचालनालय की वेबसाइट [www.udad.cg.gov.in](http://www.udad.cg.gov.in) एवं वीप्स की वेबसाइट [eProc.cgsstate.gov.in](http://eProc.cgsstate.gov.in) से देखी जा सकती है।

जोन आयुक्त

जोन क्र.-01

नगर पालिक निगम

भिलाई

8/12